

तीसरी अनुसूची

[धारा 72(ii) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, शीर्ष सं० 12 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “3000 रुपए प्रति टन” प्रविष्टि रखी जाएगी।